बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आ0सं0 :– 2/अ0प्र0–2–56/14 /1329 /पटना, दिनांक :– 14.9.21

श्री रामचन्द्र राम, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरवल द्वारा अधिसूचना सं0 1018 दिनांक 02.06.2020 द्वारा अधिरोपित शास्ति के विरूद्ध अपील अभ्यावेदन दिनांक 27.06.2020 समर्पित किया गया है।

2. श्री राम के विरूद्ध ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल अरवल में पदस्थापन काल (वर्ष 2009–2013) से संबंधित दो मामलों में विभागीय कार्यवाही संचालित की गई–

(क) अरवल प्रखण्ड में प्रसादी इंगलिस से दुना छपरा पथ की मरम्मति कार्य में एकरारनामा से अधिक का भुगतान करने के आरोप में अधिसूचना सख्या 2870 अनु0 दिनांक 13.09.17 द्वारा श्री राम के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

(ख) अरवल जिलान्तर्गत ग्राम–अयरा ग्रामीण लिंक पथ के प्रिमिक्सींग कार्य में कम तापमान पर मिक्स का व्यवहार करने तथा विशिष्टियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं करने एवं प्रिमिक्स की लाईनिंग निर्धारित तापमान पर नहीं करने से कालीकृत पथ में स्टोन चिप्स उखड़ा पाये जाने के आरोप में अधिसूचना ज्ञापांक 584 अनु0 दिनांक 09.02.16 द्वारा श्री राम के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी

3. प्रथम मामले में संचालन पदाधिकारी द्वारा एकरारनामा से अधिक कार्य का ससमय विचलन कार्यपालक अभियंता के समक्ष नहीं प्रस्तुत करने के लिए श्री राम को दोषी मानते हुए उनके विरूद्ध गठित आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री राम से द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

दूसरे मामले में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री राम के विरूद्ध गठित आरोपो को इस आधार पर अप्रमाणित बताया गया कि सील कोट टाईप–ए के कार्य के पश्चात ग्रीन स्टेज में ही वाहनों का परिचालन होने से पथ के आंशिक भाग में कहीं कहीं स्टोन चिप्स उखड़ा पाया गया। उक्त जॉच प्रतिवेदन की अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन से कराई गई समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि बिटुमिन मिक्स में गुणवत्ता की कमी बिटुमिनस मिक्स का Over burnt होना या Laying के समय बिटुमिनस मिक्स के temperature का कम होना था तथा Laying के समय कुछ लौट में Premix का temperature मानक के अनरूप नहीं रहने के कारण कहीं–कहीं स्टोन चिप्स उखड़ा हुआ पाया गया। उक्त के आलोक में संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए असहमति के बिन्दु पर श्री राम से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

4. उपर्युक्त दोनो मामलों में श्री राम से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान का समेकित रूप से समीक्षोपरान्त उसे स्वीकारयोग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप अस्वीकृत करते हुए कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर स्थायी रूप से अवनति की शास्ति के निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन एवं तत्पश्चात बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त कर विभागीय अधिसूचना सं0 1018 दिनांक 02.06.2020 द्वारा उक्त शास्ति अधिरोपित की गयी।

5. शास्ति आदेश के विरूद्ध श्री राम द्वारा दायर अपील अभ्यावेदन दिनांक 27.06.2020 में BOQ से 10 प्रतिशत अधिक भुगतान हेतु कार्यपालक अभियंता से प्राप्त स्वीकृति से संबंधित साक्ष्य संलग्न किया गया है तथा ग्राम–अयरा ग्रामीण लिंक पथ के निर्माण कार्य में निगरानी

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

विभाग के जॉच प्रतिवेदन में इंगित त्रुटियों का सुधार कार्य विशिष्टि के अनुरूप करा दिये जाने एवं अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, सासाराम के जॉच प्रतिवेदन में पथ में किसी प्रकार की त्रुटि प्रतिवेदित नहीं किये जाने के आधार पर अधिरोपित दण्ड पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है।

6. श्री राम द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन के समीक्षा से स्पष्ट होता है कि श्री राम द्वारा पूर्व में समर्पित बचाव बयान एवं साक्ष्यों को ही प्रस्तुत किया गया है। उनके द्वारा कोई ऐसा नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसपर पूर्व में विचार न किया गया हो। उल्लेखनीय है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 24–(2) में यह अंकित है कि सरकार के आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी हालाँकि ज्ञापन के रूप में पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की जा सकेगी। उक्त नियमावली के नियम–27(2) में अधिरोपित शास्ति के विरूद्ध अपील की दशा में विचारण का प्रावधान है जिसके तहत श्री राम के विचाराधीन अपील अभ्यावेदन की समीक्षा से यह स्पष्ट है कि नियमावली में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर यथा विभागीय कार्यवाही संचालित कर, द्वितीय बचाव बयान प्राप्त कर समीक्षोपरान्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन एवं बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त कर प्रश्नगत दण्ड अधिरोपित की गई है। निष्कर्ष अभिलेख पर रक्षित साक्ष्य समर्थित हैं। प्रामणित आरोपों के आलोक में अधिरोपित शास्ति उचित है।

7. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में रामचन्द्र राम, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरवल द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन दिनांक 27.06.2020 को अस्वीकृत किया जाता है।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

13.9.21

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–2–56/14 1329 /पटना, दिनांक :– 14.9.21

प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरवल/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5, ग्रामीण कार्य विभाग/श्री रामचंद्र राम, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरवल सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.9.21

उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–2–56/14 1329 /पटना, दिनांक :– 14.9.21

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13.9.21

उप सचिव